...5 ...009 किस्म ...दीवा... जगमोहन ...उनवान... लरनलाल

...लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली वास्ते साक्ष्य व जिरह वादी दिनांक 5.7.21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली वास्ते साक्ष्य व जिरह वादी दिनांक 21.9.21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य व जिरह वादी दिनांक 17.12.21 को पेश हो।

17/12/21

वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ...चुनाव कार्य के वास्ते... व्यस्त है। अतःनुसार दिनांक 25.3.22 पेश हो।

25/3/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पुलिस के बार-बार बाधी व बाधि नहीं होने से आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद उपस्थित नहीं। जिससे पाया जाता है कि वादी या वादि वकील मुकदमा आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मु०नं० 245/2008 सवा जगमोहन बनाम लरनलाल मय धारा व अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूमार से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.18 12:41:08
Reason: SelfAttested